

DIR | Higher Edu.

1/14-2019

CFMS No. 17/18
O/o DHE Hr. PKL

Dated 12/06/19

776/Amu
24/6/19

अति आवश्यक

कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 31 मई, 2019

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेल्फेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊँ और सूचित करूँ कि प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य के अधिकतर विभागों द्वारा नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के अनुलग्नक 'ए' के एकाउंटिंग प्रोसीजर के नियम (2)(iii) के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है अर्थात् उनके द्वारा 10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से कटौती करके book transfer नहीं की जा रही है, जोकि नियमों की अवहेलना है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी DDOs को निर्देश देने का कष्ट करें कि नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के नियम के अनुलग्नक 'ए' के एकाउंटिंग प्रोसीजर के नियम (2)(iii) का दृढ़ता से पालन करते हुए श्रेणी IV के कर्मचारियों के जी0आई0एस0 का सरकार की तरफ से किया जाने वाले अंशदान 10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से कटौती करके book transfer के लिए अलग से बिल बनाकर कोषाधिकारियों को प्रस्तुत करें ताकि उन पर उचित समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके तथा कोषाधिकारी भी उचित समय पर सरकार को सूचित कर सकें।

जसपाल सिंह

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जसपाल सिंह

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 31 मई, 2019

पृ0 कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 31 मई, 2019

जाती है:-

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

जसपाल सिंह

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

DHE & Spl. Secy.
No. 2879
Date 13/6/19

5

DHE/04
12/6/19

RE

Narain
13/6/19

A.D Admin

14/6

13/6/19

17/6
24/6/19
RuB

OFFICE OF DIRECTOR HIGHER EDUCATION, HARYANA,

PANCHKULA


ORDER

Order No:- 1/14-2019 Ad (3)

Date Panchkula 12.7.19

A copy of letter No. 6/2-1989-2NGIS dated 31.05.2019 received from Superintendent NGIS, O/o Chief Secretary to Government Haryana "नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे." is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 All the Principals of Government Colleges in the State.
- 2 All the Commanding Officers, NCC Units in the State.
- 3 Registrar, Kurukshetra University, Kurukshetra/Maharishi Dayanand University, Rohtak/Chaudhary Devi Lal University, Sirsa/Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan (Sonapat)/Indira Gandhi University, Meerpur (Rewari)/Chaudhary Ranbir Singh University, Jind/Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani, Bhiwani, Gurugram University, Gurugram, B.R. Ambedkar National Law University, Rai (Sonapat), Balmiki Sanskrit University, Mundri, Kaithal.
- 4 All the Librarians of District Libraries/Sub Divisional Libraries in the State of Haryana / Librarian.



Superintendent Administration,
for Director Higher Education,
Haryana, Panchkula 1

Endst. No.- Even

Dated, Panchkula 12.7.19

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 PS/DHE, Steno/Additional Director Admn.
- 2 Superintendent College-I,II, IV, Library, ME is requested to take further necessary action at your end, and ensure compliance these instructions.
- 3 All the Assistants of Admin Branch.


Superintendent Administration,
for Director Higher Education,
Haryana, Panchkula 2